UPME010090942026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट, मेरठ।

उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2599/2026

पंजीकरण संख्या–3212/2026

मुलम्मिल उर्फ भूरा पुत्र मौहम्मद अययूब, निवासी–ग्राम सिंघावली, थाना खरखौदा, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी/अभियोजन

मु0अ0सं0–16/2025
धारा–109, 317(2), 317(5)बी0एन0एस0
व धारा–3/25/28 आयुध अधिनियम
थाना–खरखौदा, जिला मेरठ।

दिनांकः 03.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल उर्फ भूरा पुत्र मौहम्मद अययूब की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–16/2025, धारा–109, 317(2), 317(5)बी0एन0एस0 व धारा–3/25/28 आयुध अधिनियम, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 26.01.2025 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक सतीश कुमार मय पुलिस दल तथा मय पिस्टल सरकारी व कारतूस मय गाड़ी सरकारी चालक गौरव कुमार के वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था, चौकिंग वाहन संदिग्ध, वाहन व्यक्ति में थाने से रपट नंबर 16 समय 08.46 बजे रवाना होकर मोहिउद्दीन पुर रोड़ थाना परतापुर बार्डर पर गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत गहन चौकिंग कर रहे थे तभी ग्राम पातूनगला की तरफ से एक व्यक्ति काली स्पलैन्डर प्लस मोटर साईकिल पर आता दिखायी दिया जो पुलिस वालों को देखकर मोटर साईकिल को अचानक मोड़कर बड़ी तेजी से वापिस ग्राम पातूनगला की ओर जाने लगा। सरकारी गाड़ी से उसका पीछा किया तो वह कुछ दूर खड़े गन्ने के खेत में घुस गया और रूकने के लिये कहने पर उसने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे पुलिस वाले खेत में बने ट्यूबवैल की आड़ में होने के कारण बाल–बाल बचे, उस व्यक्ति द्वारा किया गया फायर ट्यूबवैल की दीवार में लगा। आत्मरक्षार्थ फायर करने पर ईख के खेत से कराहने की आवाज आयी और वह व्यक्ति चिल्लाया मैं सरेन्डर करने को तैयार हूँ, मेरे पैर में गोली लगी है। अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति पड़ा कराह रहा था। उसके बॉये पैर से खून निकल रहा था। इसने अपना नाम मुजम्मिल उर्फ भूरा पुत्र मौहम्मद अययूव बताया। इसके दाहिने हाथ से एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ, जिसमे एक कारतूस 315 फंसा है। सूंघने पर ताजे चले बारूद की बू आ रही थी। उसके द्वारा बताया गया कि जो मोटर साईकिल उसके पास है, वह चोरी की मोटर साईकिल है। मोटर साईकिल को चैक किया गया तो उस पर नंबर प्लेट नहीं है, चौसिस नंबर चैक किया तो चैसिस नंबर MBLHAW228R4A04917 व इंजन नंबर HA11E7R4 |04916 अंकित है, कोई कागजात नहीं दिखा सका। चौसिस नम्बर से जिप नैट के माध्यम से चैक किया गया तो मोटर साईकिल का असल रजि० नंबर DL3SFP9983 है। अभियुक्त ने बताया कि उसके दो साथी विक्रान्त पुत्र अजय निवासी ग्राम रजपुरा थाना खरखौदा जनपद मेरठ व सागर पुत्र समरपाल निवासी अजराड़ा थाना मुण्डाली जिला मेरठ मिलकर अलग–अलग स्थानों से मोटर साईकिल चुराते है। हमने तीन मोटर साईकिल चुरायी हैं, दो मोटर साईकिल उनके पास है। फर्द मौके पर बोल–बोलकर निजी लैपटॉप पर टाईप करायी गयी तथा एक पैन ड्राइव में सुरक्षित कर

है० कां० राजकुमार को भेजकर दो प्रतियों में मंगवायी गयी। फर्द को पढ़कर सुनाकर हमराहीयान के हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की एक प्रति अभियुक्त मुजम्मिल को दी गयी। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत का मुख्य आधार यह लिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है कि अभियुक्त द्वारा ईख के खेत के अन्दर 20 मीटर की दूरी से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया है जिसे ट्यूवबैल की दीवार में लगना कहा है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ़्तार कर ईख के खेत में ले जाकर उसके पैर में गोली मारी गयी है। मौके पर पुलिस ने अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य दो व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया था जिन्हें अभियुक्त नहीं जानता। अभियुक्त से कोई मोटर साईकिल बरामद नहीं हुई है जो बरामदगी दर्शायी गयी है वह झूठी है। उक्त बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है।

अतिरिक्त आधार यह लिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप दिनपांक 27.10.2025 को बन चुका है परन्तु आज तक कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा मौके पर वीडियोग्राफी एवं फुटेज नहीं लिये गये हैं न ही अभियुक्त से बरामद तमंचे की फिंगर प्रिंट ली गयी है। घटना का कोई सरकारी गवाह नहीं है। अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है और स्थायी निवासी है। अभियुक्त सम्बन्धित थाने की अनुमति के बिना न्यायालय के क्षेत्र से बाहर नहीं जायेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अभियुक्त दिनांक 26.01.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टि में उचित जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मामले को गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा कथन किया कि अभियुक्त की पूर्व में जमानत निरस्त हो चुकी है।

5. प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1093/2025 पूर्व में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–05 मेरठ द्वारा निरस्त किया जा चुका है। जमानत प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई नया तथा ठोस आधार नहीं लिया गया है जिसके आधार पर अभियुक्त को जमानत दी जा सके। पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है। अभियुक्त के विरूद्ध इसी प्रकार के बीस दाण्डिक मामलों से सम्बन्धित आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो पुनः अभियुक्त के इसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त होने की सम्भावना है।

7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल उर्फ भूरा पुत्र मौहम्मद अययूब की ओर से मु0अ0सं0–16/2025, धारा–109, 317(2), 317(5) बी0एन0एस0 व धारा–3/25/28 आयुध अधिनियम, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 03.07.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.07.06 16:30:06 IST
Reason: Amit Veer Singh
Location: District and Sessions Court